रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-28062024-255005 CG-DL-E-28062024-255005

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2367]	नई दिल्ली,  शुक्रवार, जून 28, 2024/आषाढ 7, 1946
No. 2367]	NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 28, 2024/ASHADHA 7, 1946

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2024

का.आ. 2496(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित तहसील एवं जिले के सम्बन्ध में राजस्थान राज्य में वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन के प्रयोजन के लिए स्तंभ (2) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

## सारणी

क्रम संख्या	सक्षम प्राधिकारी का नाम	तहसील, जिला और राज्य
(1)	(2)	(3)
1	उपखंड अधिकारी, रींगस, सीकर	रींगस, सीकर, राजस्थान

[फा. सं. 2024/ एलएमएल-II /12/1/ डब्ल्यू सी /2469] पंकज त्यागी, कार्यकारी निदेशक (भूमि एवं सुविधाएं)

3822 GI/2024 (1)

### MINISTRY OF RAILWAYS

#### (Railway Board)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th June, 2024

**S.O.** 2496(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (7A) of section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (here after in this notification referred to as the said Act) the Central Government hereby authorises the officer mentioned in column (2) of the table below as the competent authority to perform the functions of such authority, under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette, for the purpose of execution of the Special Railway Project of Western Dedicated Freight Corridor in the state of Rajasthan relating to tehsil and district mentioned in column (3) of the said table,-

#### TARLE

Sl. No.	Name of competent authority	Name of tehsil, district and state
(1)	(2)	(3)
1.	Sub-divisional Officer (Up-Khand Adhikari) Reengus, Sikar	Reengus, Sikar, Rajasthan

[F. No. 2024/LML-II/12/1/WC/2469]

PANKAJ TYAGI, Executive Director (L&A)